उत्तर रेलवे NORTHERN RAILWAY

> प्रधान कार्यालयः बढाँदा हाउस, नई विल्ली।

म्0क्र0स0 13500/72

प. सं. 561ई/ 6 सी. पी. सी./Transport All / 08

दिनांक 30/01/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष समस्त मण्डल रेल प्रवन्धक एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Grant of Transport Allowance to Railway employees - clarification reg.

रेल मंत्रालय के पत्र स.PC-V/2008/A/TA/2 दिनांक 23/01/2009 (आर.बी.ई.सं.16/2009) क्र.सं. पी.सी.-Vi/ 72 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के समसख्यक पत्र दिनांक 12/09/2008 (RBE No. 111/2008) की प्रतिलिपि मुठकं०सं० 13500/7 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।


कृपया इस पत्र की पावती अवश्य भेजें।

संलग्न/यथोक्त

(Om Prakash) कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- 1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र. का. बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली।
- 2. महासचिव;एनआरएमयू:12 चेम्सफोर्ड रोड;नयी विल्ली
- 3. महासचिव; अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर, नईदिल्ली-24
- 4. महासचिव;अ०भ०अ०पि०व० रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;३ वसंत लेन नई दिल्ली।





भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी VI/ 72 सं. पी सी-V/2008/ए/टीए/2 आर बी ई सं. 16 /2009 नई दिल्ली, दिनांक १३ :1.2009

महाप्रबंधक/मृ.प्र.अ. (आर) , सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, (मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता प्रदान करना - उसके संबंध में स्पष्टीकरण।

बोर्ड के 12.9.2008 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, रेसीडेन्शियल कार्ड पास (आरसीपी) उपयोगकर्ताओं को यात्रा भत्ता स्वीकार करने के मामले की बोर्ड द्वारा पुनरीक्षा की गई है और 12.09.2008 के उपर्युक्त पत्र के पैरा 4 के आंशिक आशोधन में यह विनिश्चय किया गया है कि यात्रा भत्ता पहले से आरसीपी सुविधा का उपयोग कर रहे उन रेल कर्मचारियों को इस शर्त के साथ स्वीकार्य किया जाए कि भविष्य में आगे कोई रेलवे या खंड रेसीडेन्शियल कार्ड पास के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।

- ये आदेश 1 सितंबर 2008 से प्रभावी हैं।
- 4. यह रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(निर्भय प्रताप सिंह) उप निदेशक, वेतन आयोग-V रेलवे बोर्ड

Dilgargicirculars/6th CPC\Transport allowance-6 PC.6cc